

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर


क्रमांक:— नर्सिंग/फार्मासिस्ट/आर-140/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

श्रीमती राजेश कुमारी, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनवास, ब्लॉक सांगोद कोटा का दिनांक 30.12.2017 से 25.03.2018 तक कुल 86 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 एवं दिनांक 07.08.2014 समसंख्यक आदेश 22.05.2009 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक 56 दिवस के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:— नर्सिंग/फार्मासिस्ट/आर-140/2019/214

दिनांक: 15-05-2019

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के पत्र क्रमांक 2587 दिनांक 03.05.2019 को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में दर्ज करवाना सुनिश्चित करे।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगोद कोटा
- 3 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर